

दिनांक: 30 दिसंबर, 2015

निर्देश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13; दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्जेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) विनियम, 2012 के विनियम 4 के उपविनियम (9) और विनियम 5 के उपविनियम (11) के तहत मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. के लिए निर्देश।

सं.17-31/2015-बीएंडसीएस--- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें आगे प्राधिकरण कहा गया है) को दूरसंचार सेवाओं का विनियमन करने; सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने; सेवा प्रदाताओं के बीच टेक्नीकल कंपैटेबिलिटी और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने; सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया कराए जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक तय करने और इन सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया कराई गई ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकें, के साथ-साथ कतिपय कार्य निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

2. और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अपनी अधिसूचना संख्या 39 के तहत---

(क) जो भादूविप्रा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, के धारा 4 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 एस.ओ. 44 (ई) के तहत प्रकाशित हुई थी,—

दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रसारण सेवाएं और केबल सेवाएं अधिसूचित की हैं;

3. और प्राधिकरण ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना 39 के साथ पठित भादूविप्रा अधिनियम, 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30

अप्रैल, 2012 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) विनियम 2012 (2012 का 9) (जिसे इसमें आगे इंटरकनेक्शन विनियम कहा गया है) बनाया है;

4. और एमएसओ एवं प्रसारकों के बीच इंटरकनेक्शन से संबंधित उपबंधों वाले इंटरकनेक्शन विनियम और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

“3. इंटरकनेक्शन के संबंध में सामान्य उपबंध-(1) टीवी चैनलों का कोई भी प्रसारक अपने चैनलों के वितरण के लिए किसी भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ अनन्य संविदा सहित किसी प्रेक्टिश या कार्य या समझौता या व्यवस्था में शामिल नहीं होगा, जो वितरण के लिए ऐसे टीवी चैनलों को प्राप्त करने से दूसरे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को रोकते हों।

(2) प्रत्येक प्रसारक बगैर किसी भेदभाव के अपने टीवी चैनलों के सिगनल केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के तहत पंजीकृत प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रदान करेगा।

परंतु इस उपविनियम की कोई भी बात उस मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मामले में लागू नहीं होगी जो भुगतान का चूककर्ता है।

परंतु यह भी कि कोई ऐसी शर्त रखना जो अनुचित हों, उसे अनुरोध को अस्वीकार करना माना जाएगा।

परंतु यह भी कि इस उपविनियम की कोई भी बात ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मामले में लागू नहीं होगी, जो प्रसारकों से किसी टीवी चैनल विशेष के सिगनल की मांग करता है, जबकि उसी दौरान अपने वितरण प्लेटफार्म पर उक्त चैनल को ले जाने के लिए कौरिज शुल्क की मांग करता है।

(3) प्रत्येक प्रसारक या उसका अधिकृत एजेंट को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के अंदर इसके संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव या जैसी परस्पर सहमति हों, के अनुसार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिगनल प्रदान करेगा और अगर टीवी चैनल के सिगनल प्रदान करने के अनुरोध पर सहमति नहीं है तो सिगनल प्रदान नहीं करने के कारण के बारे में अनुरोध की तारीख से साठ दिनों अंदर अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा।

(4) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रसारकों से इंटरकनेक्शन मांगते समय यह सुनिश्चित करेगा कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए संस्थापित इसका डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम इन विनियमों की अनुसूची I में निर्दिष्ट डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम की शर्तों को पूरा करता है।

परंतु यह कि अगर प्रसारक को पता चलता है कि टीवी चैनलों के लिए वितरण के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम अनुसूची I में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है तो इसकी सूचना मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को दी जाएगी जो अपने डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम की लेखा-परीक्षा मैसर्स ब्राडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लि. या समय-समय पर जारी किए गए निर्देश के तहत किसी एजेंसी, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, से कराएगा और ऐसी एजेंसी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि इसका सिस्टम इन विनियमों की अनुसूची I में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

परंतु यह भी कि पहले परतुक के संबंध में एजेंसी के निष्कर्ष अंतिम होंगे।”

5. और मैसर्स इनाडु टेलीविजन प्रा. लि के लिए और की ओर से मैसर्स इंडिया कॉस्ट यूटीवी मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि. ने प्राधिकरण को डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम (डीएएस) के जरिये केबल टीवी सेवाएं मुहैया कराने के लिए पंजीकृत विभिन्न मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के साथ किए गए पत्राचार की एक प्रति अग्रोषित की है;

6. और ऊपर पैरा 5 में वर्णित आशय पत्रों की विषय-वस्तु की जांच की गई थी और यह नोट किया गया था कि एमएसओ द्वारा अपने उपभोक्ताओं को पुनः प्रसारित करने के लिए टीवी चैनलों के सिगनलों की मांग के अनुरोध को प्रसारकों द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा मांगी गई सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अस्वीकृत किया गया और अपने निर्णय की सूचना ऐसे एमएसओ से अनुरोध प्राप्त करने की तारीख से साठ दिनों के बाद एमएसओ को दे दी गई थी;

7. और प्राधिकरण ने दिनांक 14 अगस्त, 2015 के अपने पत्र द्वारा मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. से टीवी चैनलों के सिगनल प्रदान करने के लिए एमएसओ से उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां और सूचना का विवरण देने और इंटरकनेक्शन विनियम के विनियम 3 के उपविनियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में उनकी विफलता के कारण बताने के लिए कहा था, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

“3. इंटरकनेक्शन के संबंध में सामान्य उपबंध-

(3) प्रत्येक प्रसारक या उसका अधिकृत एजेंट को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के अंदर इसके संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव या जैसी परस्पर सहमति हों, के अनुसार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिगनल प्रदान करेगा और अगर टीवी चैनल के सिगनल प्रदान करने के अनुरोध पर सहमति नहीं है तो सिगनल प्रदान नहीं करने के कारण के बारे में अनुरोध की तारीख से साठ दिनों अंदर अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचित किय करेगा”;

8. और मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. ने 18 अगस्त, 2015 के अपने पत्र के साथ उनके द्वारा अन्य प्रसारकों के लिए और की ओर से एमएसओ के साथ किए गए पत्राचार की एक प्रति अग्रोषित की है, जिसमें अन्य के साथ-साथ सूचना का विवरण और निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं जो सिगनल प्रदान करने के लिए एमएसओ से मांगे गए थे:-

(क) प्रत्येक क्षेत्र/नगर/शहर, जिसमें आप सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, के लिए वैध एवं वर्तमान डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र और डीएस लाइसेंस;

(ख) कंपनी से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज, इसमें आगे अनुलग्नक-क में दिए गए हैं;

(ग) केबल बिछाने के लिए अपेक्षित अनुमति के साथ भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर केबल डालने को दर्शाने वाला नक्शा। नक्शे पर प्रति-हस्ताक्षर होने चाहिए;

(घ) बेबाकी प्रमाणपत्र;

(ङ) फ्रेंचाइजी/केबल ऑपरेंट/सब-ऑपरेंट के पते और उनकी कनेक्टिविटी/उपभोक्ताओं की संख्या के साथ परिचालन के संबंधित क्षेत्रों के विवरण सहित प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा।

(च) सिगनलों के ट्रांसमिशन (चाहे भूमिगत हों या शिरोपरि हों) के माध्यम का विवरण और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई अनुमति की प्रति;

(छ) आपके द्वारा और आपकी फ्रेंचाइजी केबल ऑपरेंट (यदि कोई हों) द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र जैसा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), 1995 में निर्दिष्ट किया गया है;

(ज) अगर लागू हों तो पिछले तीन वर्षों के लिए सांविधिक अनुपालन को दर्शाने वाला स्टेटमेंट;

(झ) आपकी नवीनतम आय कर विवरणी।

(ञ) इस्तेमाल किया गया उपकरण बीआईएस मानकों के अनुरूप है, इसको प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र;

(ट) जहां कहीं अपेक्षित हों, व्यक्ति को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अनुमोदित करने की स्वीकृति के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण;

(ठ) नक्शे के साथ परिचालन के क्षेत्र की सच्ची और सही सूची; और

(ड) संस्थापित किए जाने वाले डिजिटल एंड्रसेबल हेड-एंड्स की संख्या।

9. और मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. ने दिनांक 18 अगस्त, 2015 के अपने पत्र द्वारा यह भी सूचित किया है कि चैनलों को अस्वीकार करने के कारण की सूचना एमएसओ को साठ दिनों की अवधि के अंदर दे दी गई थी, जैसा कि इंटरकनेक्ट विनियमों में प्रावधान किया गया है और चूंकि अनुरोध कम थे इसलिए इसे इंटरकनेक्शन विनियमों के उपबंधों के तहत मान्य अनुरोध नहीं माना जा सकता था;

10. और प्राधिकरण ने पिछले पैरा में उल्लिखित मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. के उत्तर की जांच की और सेवा प्रदाताओं से पूछा कि प्रसारकों द्वारा मांगे गए निम्नलिखित विवरण/दस्तावेजों को टीवी चैनलों के सिगनलों के लिए मना करने हेतु अनुचित शर्तें रखने के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए;

(क) प्रत्येक क्षेत्र/नगर/शहर, जिसमें आप सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, के लिए वैध एवं वर्तमान डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र और डीएएस लाइसेंस;

(ख) केबल बिछाने के लिए अपेक्षित अनुमति के साथ भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर केबल डालने को दर्शाने वाला नक्शा। नक्शे पर प्रति-हस्ताक्षर होने चाहिए;

(ग) बेबाकी प्रमाणपत्र;

(घ) उनके फ्रेंचाइजी/केबल ऑपरेटर/सब-ऑपरेटर के पते और उनकी कनेक्टिविटी/उपभोक्ताओं की संख्या के साथ परिचालन के संबंधित क्षेत्रों के विवरण सहित एमएसओ प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा।

(ङ.) सिगनलों के ट्रांसमिशन (चाहे भूमिगत हों या शिरोपरि हों) के माध्यम का विवरण और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई अनुमति की प्रति;

(च) अगर लागू हों तो पिछले तीन वर्षों के लिए सांविधिक अनुपालन को दर्शाने वाला स्टेटमेंट;

(छ) एमएसओ की नवीनतम आय कर विवरणी।

(ज) इस्तेमाल किया गया उपकरण बीआईएस मानकों के अनुरूप है, इसको प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र; और

(झ) एमएसओ के बिजनस के पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले दस्तावेज।

11. और मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. ने अपने दिनांक 11 सितंबर, 2015 के पत्र द्वारा मांग करने वाले एमएसओ से सूचना और दस्तावेज मांगने के कारण बताएं हैं;

12. और प्राधिकरण ने मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. से प्राप्त उत्तर की जांच की है और पाया है कि प्रसारकों द्वारा मांगी गई कतिपय सूचना/दस्तावेज न तो सिगनलों की आपूर्ति से संबंधित हैं और न ही डीएस हेतु विनियामक फ्रेमवर्क के उपबंधों के अनुरूप हैं;

13. और इंटरकनेक्शन विनियमों का विनियम (4) का उपविनियम (9) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान करता है:-

“(9) प्राधिकरण उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने और प्रसारण एवं केबल सेवाओं के क्रमबद्ध विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को अपने संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव में संशोधन करने का निर्देश दे सकता है।”

14. और इंटरकनेक्शन विनियमों का विनियम (5) के उपविनियम (11) में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण प्रसारकों और एमएसओ के बीच इंटरकनेक्शन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रसारकों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, को ऐसे निर्देश, जो उचित समझे जाएं, जारी कर सकता है। संबंधित उपबंध को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

“(11) अगर प्रसारक और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर इंटरकनेक्शन समझौता करने में विफल रहते हैं तो ऐसे प्रसारक या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, अधिनियम की धारा 14ए के उपबंध या फिलहाल लागू किसी अन्य

कानून पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर किसी भी समय प्राधिकरण से ऐसे समझौते को करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं और प्राधिकरण प्रसारक और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो उचित समझे जाएं।”

15. और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को अधिसूचित क्षेत्रों में एड्रसेबल सिस्टम के साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के तहत केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी;

16. और इंटरकनेक्शन विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम (2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्रसारक केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के तहत पंजीकृत प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को बगैर किसी भेदभाव के अपने टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराएगा।

17. और न तो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 और ना ही इंटरकनेक्शन विनियम प्रसारक को निम्नलिखित दस्तावेज मांगने का अधिकार देते हैं:—

- (क) एमएसओ का डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र क्योंकि एमएसओ को डीएस क्षेत्रों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना जरूरी है;
- (ख) परिचालन के प्रस्तावित क्षेत्र में केबल वाले घरों/परिवारों की संख्या;
- (ग) एमएसओ नेटवर्क के उपभोक्ताओं के नाम और पते की सूची;
- (घ) संबद्ध लोकल केबल ऑपरेटरों का विवरण;
- (ङ) राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति की प्रति;
- (च) नगर निगम की अनुमति की प्रति;
- (छ) एमएसओ की आय कर विवरणी की प्रति;
- (ज) सिगनलों के ट्रांसमिशन के माध्यम यथा शिरोपरि या भूमिगत के बारे में सूचना;
- (झ) ट्रांसमिटिंग उपकरण, हार्डवेयर/नियंत्रण कक्ष के बीमा विवरण की प्रति;
- (ञ) हेड-एंड एड्रेस की लीज या किराया विलेख की प्रति; और
- (ट) आपराधिक मामलों से संबंधित सूचना।

18. इसलिए अब प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) विनियम, 2012 (2012 का 9) के उपबंधों के तहत मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि. को उपभोक्ताओं को पुनःप्रसारित करने के उद्देश्य से टीवी चैनलों के सिगनल मांगने के लिए डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम के जरिये केबल टीवी सेवाएं मुहैया कराने के लिए पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों से निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना नहीं मांगने का निर्देश देता है:—

- (क) एमएसओ का डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र क्योंकि एमएसओ को डीएस क्षेत्रों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना जरूरी है;

- (ख) परिचालन के प्रस्तावित क्षेत्र में केबल वाले घरों/परिवारों की संख्या;
- (ग) एमएसओ नेटवर्क के उपभोक्ताओं के नाम और पते की सूची;
- (घ) संबद्ध लोकल केबल ऑपरेटरों का विवरण;
- (ङ.) राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति की प्रति;
- (च) नगर निगम की अनुमति की प्रति;
- (छ) एमएसओ की आय कर विवरणी की प्रति;
- (ज) सिगनलों के ट्रांसमिशन के माध्यम यथा शिरोपरि या भूमिगत के बारे में सूचना;
- (झ) ट्रांसमिटिंग उपकरण, हार्डवेयर/नियंत्रण कक्ष के बीमा विवरण की प्रति;
- (ञ) हेड-एंड एड्रेस की लीज या किराया विलेख की प्रति; और
- (ट) आपराधिक मामलों से संबंधित सूचना।

और इस निर्देश के जारी होने की तारीख के दस दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश देता है।

(जी.एस. केसरवानी)

उप-सलाहकार (बीएंडसीएस)

फैक्स नंबर: 011-23220442

मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क्स प्रा. लि.
यूनिट न. 1, ग्राउंड फ्लोर,
एंटरप्राइज सेंटर, नेहरू रोड,
विल्ले पार्क (पूर्व)
मुंबई - 400099